[2022] 14 एस. सी. आर 790

बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड

वी.

दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग

नागरिक आवेदन संख्या (एस)। 4324 2015 का

18 अक्टूबर, 2022

[एस. अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003: एसएस। 2 (17) , 12 , 14 , 43 , 61 , 62 और 64 शुल्क का निर्धारण-'ट्रुइंग अप' का अभ्यास-अपीलार्थी हैं वितरण लाइसेंसधारी, जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में बिजली के वितरण और आपूर्ति में शामिल हैं-2003 के अधिनियम के संदर्भ में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डी. ई. आर. सी. ने लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के संचालन के लिए अपीलार्थियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता-ए. आर. आर. को विनियमित किया और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता डी. ई. आर. सी. से शुल्क की वसूली की गई।

वित्त वर्ष के लिए ए. आर. आर. और टैरिफ के निर्धारण के लिए दिनांक 26.08.2012 के टैरिफ आदेशों में अस्वीकृति और वित्त वर्ष 2008-09 और वित्त वर्ष 2009-10 के लिए वित्तीय स्थिति में सुधार-डी. ई. आर. सी. ने कार्यप्रणाली को बदल दिया विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई-अपीलकर्ताओं ने कहा कि निजीकरण के बाद से, डी. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित ए. आर. आर. वास्तविक बिजली खरीद लागत को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, जिसके कारण राजस्व में भारी अंतर पैदा हुआ; कि डी. ई. आर. सी. ने अपने वैधानिक नियमों और अपनी वैधानिक सलाह की बार-बार अवहेलना करते हुए शुल्क दर में आवधिक वृद्धि करने से इनकार कर दिया, जिससे अपीलकर्ताओं का ऋण बढ़ गया-ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पुष्टि किए गए डी. ई. आर. सी. के निष्कर्ष

अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः शुल्क आदेश में संशोधन करने की अनुमति नहीं है।

सत्यनिष्ठा अभ्यास के दौरान-विवेक जांच और सत्यनिष्ठा के बहाने, डी. ई. आर. सी. शुल्क आदेश में संशोधन नहीं कर सकता था -

नियामक नियमों को 'ट्रुइंग अप अभ्यास' में शुरू करने के बाद नहीं बदल सकता है-इस प्रकार, डी. ई. आर. सी. के निष्कर्ष, जैसा कि ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा कार्यप्रणाली में परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर पुष्टि की गई है।

मूल्यह्रास की गणना; एफ. आर./एस. आर. संरचना के लिए वेतन की अस्वीकृति; और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की अस्वीकृति, इसके विपरीत हैं मूल एम. वाई. टी. निर्धारण टैरिफ आदेश दिनांक 23.02.2008 और 28.05.2009 का आदेश, इस प्रकार, अलग रखा गया है -

790 बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग

उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर किए गए ब्याज की अस्वीकृति

डी. पी. सी. एल. द्वारा रखे गए, अपीलकर्ता डी. पी. सी. एल. द्वारा रखे गए उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज की वसूली के हकदार हैं-जहां तक संबंध है, डी. पी. सी. एल. के लिए प्रवर्तन बिक्री के संबंध में दस लाख इकाइयों में कमी।

समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक गणना का उद्देश्य

बिजली की चोरी/अनधिकृत उपयोग से संबंधित नुकसान, मूल्यांकन ऊर्जा को प्रवर्तन मामलों में अपीलार्थियों द्वारा आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए-डी. ई. आर. सी. के लिए मूल्यांकन ऊर्जा पर विचार करना

प्रवर्तन बिक्री की गणना और वहन लागत के साथ उसी के प्रभाव की अनुमति दें-इस प्रकार, डी. ई. आर. सी. के आदेश और इसमें आक्षेपित ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय को अलग कर दिया जाता है।

एस. 64 – शुल्क आदेश के लिए प्रक्रिया-शुल्क आदेश में किया गया संशोधन। 64 'ट्रुइंग अप' अभ्यास के दौरान-की अनुमति-आयोजितः एक प्रशुल्क आदेश प्रकृति में अर्ध-न्यायिक होता है जो अंतिम हो जाता है और पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाता है जब तक कि इसे यू/एस में संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है। 64 (6) या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अलग रखा गया-'ट्रुइंग अप' चरण डी. ई. आर. सी. के लिए बुनियादी पर नए सिरे से विचार करने का अवसर नहीं है।

लाइसेंसधारक की राजस्व आवश्यकता के प्रारंभिक अनुमानों में शामिल सिद्धांत, परिसर और मुद्दे-शुल्क निर्धारण की कार्यप्रणाली/सिद्धांतों को पूर्वव्यापी रूप से बदलने और मूल शुल्क निर्धारण आदेश को फिर से खोलने के लिए 'ट्रुइंग अप' अभ्यास नहीं किया जा सकता है जिससे शुल्क निर्धारण प्रक्रिया को शून्य पर सेट किया जा सके। ' डी. ई. आर. सी. द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के बहाने पहले से निर्धारित शुल्क का सही-सही चरण-संशोधन या पुनर्निर्धारण शुल्क आदेश में संशोधन के बराबर होगा, जो केवल धाराओं की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। 64 उस अवधि के भीतर जिसके लिए शुल्क आदेश लागू था-डी. ई. आर. सी. नहीं कर सकता

संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 'ट्रू-अप' की आड़ में 01.04.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए टैरिफ ऑर्डर में संशोधन करें और इसे बाद के टैरिफ ऑर्डर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-यह होगा

शुल्क के पूर्वव्यापी संशोधन के लिए राशि जब इस तरह के शुल्क आदेश के लिए प्रासंगिक अवधि पहले से ही समाप्त हो चुकी है-इस प्रकार, यू/एस द्वारा किए गए शुल्क आदेश में संशोधन करने की अनुमति नहीं है। 64 'ट्रुइंग अप' अभ्यास के दौरान।

एस. 125 – उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजित क्षेत्राधिकार का प्रयोगः 'उत्पन्न होने वाले कानून' के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व

ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय से इस न्यायालय द्वारा यू/एस. द्वारा अधिकारिता के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। 125 – सिविल प्रक्रिया संहिता - s.100।

शब्द और वाक्यांशः

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' ट्रुइंग अप '-का अर्थ-आयोजितः' 'ट्रुइंग अप' लाइसेंसधारी द्वारा अनुमानित/अनुमानित राशि के विरुद्ध की गई वास्तविक राशि का समायोजन है।

वार्षिक राजस्व के तहत निर्धारित अनुमानित राशि

आवश्यकता-ए. आर. आर.

' कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न '-जिसका अर्थ है-चर्चा की गई।

' अपील '-अर्थ-चर्चा की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय से उत्पन्न कानून का प्रश्न 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। [पैरा 27] [807-एच; 808-ए-बी] 1.2 . एक शुल्क आदेश अर्ध है। • न्यायिक प्रकृति जो अंतिम हो जाती है और पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाती है जब तक कि इसे संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है

धारा 64 (6) के तहत या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अलग रखा गया। इसके अलावा

इससे, 'सही होने' के स्तर पर, डी. ई. आर. सी. ए. आर. आर. के प्रारंभिक अनुमान में शामिल बुनियादी सिद्धांतों, परिसरों और मुद्दों को बदलकर प्रारंभिक शुल्क निर्धारण में उपयोग किए जाने वाले नियमों/कार्यप्रणाली को नहीं बदल सकता है। [पैरा 51] [816-सी-डी]

1.3 . ' 'ट्रुइंग अप' का अर्थ है अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमानित/अनुमानित राशि के विरुद्ध की गई वास्तविक राशि का समायोजन।

ए. आर. आर. के तहत निर्धारित '। डी. ई. आर. सी. के लिए राजस्व के प्रारंभिक अनुमानों में शामिल बुनियादी सिद्धांतों, परिसरों और मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने का अवसर नहीं है।

अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता '। शुल्क निर्धारण की कार्यप्रणाली/सिद्धांतों को पूर्वव्यापी रूप से बदलने और मूल शुल्क निर्धारण आदेश को फिर से खोलने के लिए 'ट्रू अप' अभ्यास नहीं किया जा सकता है जिससे शुल्क निर्धारण प्रक्रिया को 'ट्रू अप' स्तर पर शून्य पर स्थापित किया जा सके। [पैरा 52,53] [816-डी-ई; 817-बी-सी] 1.4 विवेकपूर्ण जाँच के बहाने डी. ई. आर. सी. द्वारा पहले से निर्धारित शुल्क का संशोधन या पुनर्निर्धारण शुल्क आदेश में संशोधन के बराबर होगा, जो बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड हो सकता है।

वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग

केवल धारा 64 की उप धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार किया गया

2003 के अधिनियम की उस अवधि के भीतर जिसके लिए प्रशुल्क आदेश लागू था। डी. ई. आर. सी. संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 'ट्रू-अप' की आड़ में 01.04.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए शुल्क आदेश में संशोधन नहीं कर सकता है और उसी के स्थान पर एक बाद का शुल्क आदेश। यह शुल्क के पूर्वव्यापी संशोधन के बराबर होगा जब इस तरह के शुल्क आदेश के लिए प्रासंगिक अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए 2003 के अधिनियम की धारा 64 के तहत किए गए शुल्क आदेश में संशोधन करने की अनुमति नहीं है। [पैरा 55] [817-ई-जी]

1.5 मूल एम. वाई. टी. निर्धारण (टैरिफ आदेश दिनांक 28.05.2009) में, डी. ई. आर. सी. ने पूरे विलंबित भुगतान को ध्यान में रखा। संग्रह दक्षता के लक्ष्यों की गणना करते समय अधिभार ('एल. पी. एस. सी.') राजस्व के साथ-साथ डी. वी. बी. बकाया भी। हालांकि, विचाराधीन वर्ष के लिए आगे बढ़ते हुए, डी. ई. आर. सी. ने वास्तविक संग्रह की तुलना में एल. पी. एस. सी. पर वित्तपोषण लागत में कटौती करके एल. पी. एस. सी. के राजस्व का कुछ हिस्सा लेने की कोशिश की है।

अनुमानित संग्रह दक्षता के साथ दक्षता। इसलिए, एल. पी. एस. सी. राजस्व पर वित्तपोषण लागत की अनुमति देना और फिर इसे एल. पी. एस. सी. राजस्व से काटना एक तरफ देने और दूसरी तरफ ले जाने के समान होगा। डी. ई. आर. सी. का यह आदेश मूल एम. वाई. टी. निर्धारण के विपरीत है। [पैरा 57,58] [818-ए-बी; 819 ई-एफ]

1.6 मूल निर्धारण आदेश दिनांक 28.05.2009 (F. Y. 2008-09) में, DERC ने परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की अनुमति दी है।

उपभोक्ता योगदान द्वारा वित्त पोषित। हालाँकि, डी. ई. आर. सी. ने सही होने के स्तर पर ए. आर. आर. की गणना की पद्धति को बदल दिया। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील के अनुसार, डी. ई. आर. सी. ने अनजाने में एक त्रुटि की थी और मूल रूप से शुल्क आदेश जारी करते समय मूल्यह्रास की गणना करते समय 2007 एम. वाई. टी. विनियमों के जनादेश के विपरीत एक दृष्टिकोण अपनाया था, जिसे वास्तविक अभ्यास में ठीक किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थियों के विद्वान वकील का कहना है कि दिनांकित शुल्क आदेश में डी. ई. आर. सी. द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और यह केवल प्रासंगिक एम. वाई. टी. विनियमों पर विचार करने के बाद है कि उपभोक्ता योगदान द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियों पर अपीलार्थियों को मूल्यह्रास की अनुमति दी गई थी। दिनांक 28.05.2009 के शुल्क आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि [2022] 14 एस. सी. आर. पर विचार करने के बाद।

पक्षकारों की दलीलों में उपरोक्त मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है। न्यायालय ने पहले ही कहा है कि वास्तविक प्रक्रिया के दौरान शुल्क आदेश में संशोधन करने की अनुमति नहीं है। विवेकपूर्ण जाँच के बहाने डी. ई. आर. सी. शुल्क आदेश में संशोधन नहीं कर सकता था। [पारस 59,60] [819-एफ-एच; 820-ए-बी]

1.7 . संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए खर्चों के अनुमान के दौरान, दिनांक 1 के टैरिफ आदेश में अपेक्षित छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी खर्चों का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, अपने स्वयं के उपक्रम के विपरीत, डी. ई. आर. सी. ने टैरिफ आदेश दिनांक 26.08.2011 में वास्तविक नियमों के अनुसार एफ. आर./एस. आर. कर्मचारियों के कर्मचारी खर्चों की अनुमति नहीं देकर गलती से अपनी कार्यप्रणाली को बदल दिया है। डी. ई. आर. सी. ने प्रक्रिया में बदलाव करते हुए एफ. आर. एंड एस. आर. के वास्तविक वेतन की अनुमति नहीं दी है।

कर्मचारी, जो अनुज्ञेय नहीं है। डी. ई. आर. सी. ने दिनांकित टैरिफ आदेश 26.08.2011 में कर्मचारी खर्चों के प्रभाव को सही साबित करने के अपने स्वयं के उपक्रम के विपरीत कार्य किया है। छठी केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट। [पैरा 61,63] [820-बी-सी; 822-एफ-एच]

1.8 जहां तक इस मुद्दे का संबंध फ्रिंज लाभ कर की अस्वीकृति के संबंध में है, डी. ई. आर. सी. ने दिनांक 23.02.2008 के एम. वाई. टी. आदेश में फ्रिंज लाभ कर की अनुमति दी है। डी. ई. आर. सी., सत्यनिष्ठा के चरण में

एफ. वाई. 2008-09 के लिए, कार्यप्रणाली को बदल दिया है और अपीलार्थियों द्वारा उपार्जित सीमांत लाभ कर को अस्वीकार कर दिया गया। डी. ई. आर. सी. इस स्तर पर शुल्क निर्धारण के आधार को फिर से नहीं खोल सकता है

' ऊपर की ओर '। विवेकपूर्ण जाँच के बहाने डी. ई. आर. सी. द्वारा पहले से निर्धारित शुल्क का संशोधन या पुनर्निर्धारण शुल्क आदेश में संशोधन के बराबर होगा, जिसकी कानून में अनुमति नहीं है। डी. ई. आर. सी. के लिए राजस्व के प्रारंभिक अनुमान में शामिल बुनियादी सिद्धांतों, परिसरों और मुद्दों पर नए सिरे से सोचने का अवसर नहीं है। लाइसेंसधारक की आवश्यकताएँ। इसलिए, डी. ई. आर. सी. के निष्कर्ष, जैसा कि ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा विवादित आदेश में पुष्टि की गई है, सं. 1 , 2 , 3 और 5 मूल एम. वाई. टी. निर्धारण (शुल्क आदेश) दिनांक 23.02.2008 के आदेश के विपरीत हैं और

28.05.2009) जिन्हें तदनुसार अलग रखा जाता है। [पारस 64-67] [823 ए-बी, डी-जी] बीएसईएस राजधनी पावर लिमिटेड।

वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग

डी. वी. बी. द्वारा प्राप्त निजीकरण पूर्व अवधि के लिए, जिसे अभी तक अपीलार्थियों को हस्तांतरित नहीं किया गया है। ए. पी. टी. ई. एल. ने डी. ई. आर. सी. के इस आदेश की पुष्टि की है। पूर्ववर्ती डी. वी. बी. (डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.2022) को अलग करने के समय, उपभोक्ता प्रतिभूति जमा की मात्रा निम्नलिखित के संदर्भ में अधिसूचित प्रारंभिक तुलनपत्र में परिलक्षित होती हैः वैधानिक हस्तांतरण योजना, डी. पी. सी. एल. (पूर्णतया एन. सी. टी. सरकार के स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी) द्वारा हस्तांतरित नहीं की गई थी।

दिल्ली) अपीलार्थियों और अन्य उत्तराधिकारी निजी डिस्कॉम को। अपीलार्थी 2003 के अधिनियम के तहत वितरण लाइसेंसधारी हैं।

उक्त पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है और जारी है

2003 के अधिनियम की धारा 47 (4) के संदर्भ में उपभोक्ता प्रतिभूति जमा भले ही डी. पी. सी. एल. द्वारा मूल राशि को कभी भी पूरी तरह से उन्हें हस्तांतरित नहीं किया गया था। डी. ई. आर. सी. ने अपने दिनांक 23.04.2007 के आदेश में कहा है कि उसके पास डी. पी. सी. एल. को कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। [पैरा 68,69] [823-जी-एच; 824-ए-सी]

1.10 . डी. पी. सी. एल. द्वारा ए. आर. आर. में रखे गए उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए ब्याज को अस्वीकार करना।

अपीलकर्ताओं को पूरी तरह से गलत समझा गया है। उपभोक्ता की जमा राशि पर ब्याज जो अपीलार्थियों द्वारा भुगतान किया जा रहा है, एक वैध खर्च है। यह विवाद में नहीं है कि प्रतिभूति जमा डी. पी. सी. एल. द्वारा अपीलार्थियों को हस्तांतरित नहीं किया गया था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं को उसी की लागत वहन करने की आवश्यकता थी। यदि डी. पी. सी. एल. द्वारा रखे गए उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर मूल राशि को हस्तांतरित किया जाता है।

ब्याज वाले अपीलार्थी, अपीलार्थी, अपने वैध व्यय के अधीन रहते हुए, ऐसे ब्याज को बनाए रखेंगे और अपीलार्थी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त ब्याज के किसी भी शेष का लाभ उपभोक्ताओं को शुल्क में दिया जाएगा। इसलिए, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि यदि ब्याज का बोझ वर्तमान में उपभोक्ताओं पर डाला जाता है, अपीलार्थी, प्रभावी रूप से, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका में सफल होने की स्थिति में दोहरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए, अपीलार्थी डी. पी. सी. एल. द्वारा रखे गए उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज की वसूली करने के हकदार हैं। डी. ई. आर. सी. को उपभोक्ता प्रतिभूति जमा [2022] 14 एस. सी. आर. पर ब्याज की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. पी. सी. एल. द्वारा धारित और अपीलार्थियों पर उसका प्रभाव। द. इस संबंध में डी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्षों को अलग रखा गया है। [पैरा 71,72] [824-ई-एच; 825-ए-बी]

चोरी, यह सवाल उठा कि क्या ए. पी. टी. ई. एल. के क्रम में आक्षेपित निष्कर्ष इस कानूनी सिद्धांत के खिलाफ हैं कि जब कानून एक कानूनी कल्पना बनाता है यानी कि मूल्यांकन की गई ऊर्जा का उपभोग 'माना' जाता है, तो उसे इसके सभी परिणामों के साथ प्रभावी बनाया जाना चाहिए, यानी ऊर्जा की समान मात्रा का हिसाब रखा जाना है। आपूर्ति के रूप में। [पैरा 73] [825-बी-सी]

1.12 संचारित बिजली चोरी हो सकती है या अनधिकृत रूप से उपयोग की जा सकती है। जबकि निजीकरण से पहले चोरी/अनधिकृत उपयोग लगभग 60 प्रतिशत था, अब इसे घटाकर 7 से 8 प्रतिशत कर दिया गया है। अनाधिकृत उपयोग और चोरी पर 2003 के अधिनियम की धारा 126 में कार्रवाई की गई है। सतर्कता/प्रवर्तन विभाग बिजली की चोरी/अनधिकृत उपयोग का पता लगाता है। उचित अवसर देने के बाद, बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग के लिए बिल बनाए जाते हैं। इन्हें प्रवर्तन बिक्री/मूल्यांकन बिक्री कहा जाता है। इस तरह की चोरी/अनधिकृत उपयोग के लिए वैधानिक शुल्क दोगुना है।

100 इकाइयों को बिक्री के रूप में मानने पर कल्पना चौंका देती है। इस तरह काल्पनिक स्थिति को इसके तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए और 100 इकाइयों को 'बिक्री' के रूप में मानने की सराहना करनी चाहिए। अभिनिर्धारित ऊर्जा को प्रवर्तन मामलों में अपीलार्थियों द्वारा आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, डी. ई. आर. सी. प्रवर्तन बिक्री की गणना के लिए मूल्यांकन ऊर्जा पर विचार करेगा और वहन लागत के साथ-साथ इसके प्रभाव की अनुमति देगा। [पैरा 79,80] [827-सी-ई] बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड।

वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग

1.15 कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है।

तदनुसार। डी. ई. आर. सी. के आदेश और ए. पी. टी. ई. एल. के विवादित निर्णय को ऊपर उल्लिखित सीमा तक दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा 81] [827-एफ]

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। तारिणी

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य (2016) 8 एस. सी. सी. 743:

[2016] (5) एस. सी. आर. 990-लागू नहीं होता है। सर चुनीलाल

वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम द सेंचुरी एसपीजी। & एम. एफ. जी. कं.

लिमिटेड 1962 सप्लीमेंट (3) एससीआर 549: AIR 1962 SC 1314; पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग, सचिव के माध्यम से (2010) 4 एस. सी. सी. 603: [2010] (3) एससीआर 609; एसएलडीसी बनाम। जीईआरसी 2015 एससीसी ऑनलाइन

ए. पी. टी. ई. एल. 50; एन. डी. पी. एल. बनाम डी. ई. आर. सी 2007 ई. एल. आर. (ए. पी. टी. ई. एल.) 193

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1962] पूरक (3) एस. सी. आर. 549

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2010] (3) एससीआर 609

पैरा 48

संदर्भित किया गया है

[2016] (5) एससीआर 990

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 54

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4324

2015 से।

अपीलीय के 28.11.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 की अपील No.61 में विद्युत न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ

2015 की सिविल अपील No.4323।

अरविंद दातार, ध्रुव मेहता, निखिल नय्यर, साजन पूवय्या, राहुल

मेहरा, एस. वसीम ए. कादरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित कपूर, अनुपम वर्मा, बडी आर. रंगनाथन, पुखरंबम रमेश कुमार, राहुल किनरा, आदित्य अजय, करुण शर्मा, सुश्री मनु तिवारी, वाहेंगबाम इमानुएल मेइतेई, सुश्री नेहा माथेन, नवीन हेगड़े, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार, विरेश।

सहारिया, अक्षत अग्रवाल, सुश्री मोलश्री भटनागर, सुश्री परिचिता

चौधरी, उत्कर्ष सिंह, सुश्री निष्ठा कुमार, चिराग एम. श्रॉफ, विकसित अरोड़ा, अमनदीप मेहता, लक्ष्मी रमन सिंह, तमीम ए. कादरी, सईद कादरी, शफी माथेर, सिद्धार्थ चौधरी, वेंकटेश, सुश्री कनिका चुघ, नितिन सलूजा, आशुतोष के. श्रीवास्तव, अजीम सैमुअल, निहाल भारद्वाज, सुश्री प्रियंका प्रशांत, सत्यकाम, हसन मुर्तजा, केवी।

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री राधिका चतुर्वेदी, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, सुश्री मधु शुक्ला, सुश्री दीप्ति एस. राणे, अमित कुमार, अधिवक्ता। के लिए हस्तक्षेपकर्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे.

1. ये दोनों अपील बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड (सी. ए.) द्वारा दायर की गई हैं। 2015 का आई. डी. 1) और बी. एस. ई. एस. यमुना पावर लिमिटेड (सी. ए.

2015 का आई. डी. 1) (इसके बाद 'अपीलकर्ता' के रूप में संदर्भित) बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ('ए. पी. टी. ई. एल.') के कुछ निष्कर्षों को सामान्य निर्णय और दिनांकित आई. डी. 2 के आदेश में चुनौती देता है।

(' विवादित आदेश ') अपील में पारित किया गया Nos.61 और 2012 का 62 (' शुल्क ')

अपील ')। अपीलकर्ताओं द्वारा ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष प्रशुल्क अपील दायर की गई थी, जिसमें वित्त वर्ष 2008-09 और वित्त वर्ष 2009-10 के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और वित्त वर्ष 2011-12 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (ए. आर. आर.) के लिए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ('डी. ई. आर. सी.') के दिनांकित शुल्क आदेश में कुछ निष्कर्षों को चुनौती दी गई थी। डी. ई. आर. सी. ने आम विवादित आदेश में कुछ निष्कर्षों को चुनौती देते हुए अपील (2015 का सी. ए. Nos.8660-61) भी दायर की है और उक्त अपीलों पर सुनवाई की जाएगी और अलग से निर्णय लिया जाएगा।

2. अपीलकर्ता विद्युत अधिनियम, 2003 (* 2003 अधिनियम) की धारा 2 (17) के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी (डिस्कॉम) हैं। डिस्कॉम का प्राथमिक कार्य आवेदन पर किसी भी परिसर को आपूर्ति देना है। एक उपभोक्ता द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन में किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक शुल्क का भुगतान करना शामिल है, सिवाय इसके कि चक्रवात या बाढ़ जैसी आकस्मिक स्थितियों से रोका गया हो।

3. अपीलकर्ता केंद्र और राज्य उत्पादन कंपनियों से 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत बिजली खरीदते हैं। केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों का शुल्क

यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ('सी. ई. आर. सी.') द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसलिए, अपीलकर्ताओं का केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क पर कोई नियंत्रण नहीं है। साथ ही, राज्य उत्पादक कंपनियों के लिए शुल्क राज्य नियामक यानी डी. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित किया जाता है।

बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

4. यह अपीलार्थियों का मामला है कि निजीकरण के बाद से, डी. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित ए. आर. आर. वास्तविक स्थिति को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था।

अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करें। 5. अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित मुद्दों पर विवादित आदेश में ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष को चुनौती दी हैः

समुच्चय की गणना में कार्यप्रणाली में परिवर्तन

ए.

तकनीकी और वाणिज्यिक (ए. टी. एंड. सी.) नुकसान [अंक 14 में

आक्षेपित आदेश]

मूल्यह्रास की गणना के लिए कार्यप्रणाली में परिवर्तन

बी.

[निर्गम 15 आक्षेपित क्रम में]

मौलिक नियमों के लिए वेतन की अस्वीकृति और

सी.

पूरक नियम (एफ. आर./एस. आर.) संरचना [अंक 23 में

आक्षेपित आदेश]

उपभोक्ता प्रतिभूति पर उपार्जित ब्याज की अस्वीकृति

डी.

दिल्ली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रखी गई जमा राशि

(डी. पी. सी. एल.) [विवादित आदेश में 29 जारी करें]

फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की अस्वीकृति [विवादित में अंक 34

ई.

आदेश दें]

एफ.

प्रवर्तन के संबंध में मिलियन इकाइयों (एम. यू.) में कमी ए. टी. एंड सी. हानि की गणना के उद्देश्य से बिक्री [आक्षेपित आदेश में अंक 14]

6. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त अंक 'सी' को केवल बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड द्वारा 2015 के सी. ए. No.4324 में चुनौती दी गई है।

जबकि शेष मुद्दों को बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड और बी. एस. ई. एस. यमुना पावर लिमिटेड दोनों द्वारा चुनौती दी गई है और ये विषय हैं -

2015 का सी. ए. No.4324 और C.A.No। 2015 का 4323।

7. टैरिफ अपील अपीलार्थियों द्वारा अपने संबंधित टैरिफ आदेशों दिनांक 26.08.2012 में अस्वीकृति को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

डी. ई. आर. सी. द्वारा निम्नलिखित के लिए पारित किया गयाः

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) वित्त वर्ष 2011-12 के लिए ए. आर. आर. और शुल्क का निर्धारण; और (ख) वित्त वर्ष 2008-09 और वित्त वर्ष 2009-10 के लिए वित्तीय स्थिति में सुधार।

8. अपीलार्थियों के अनुसार, वर्तमान दीवानी अपील 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत छह पर कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देती है।

मुद्दे। यह तर्क दिया जाता है कि कानून के उक्त महत्वपूर्ण प्रश्न मुख्य रूप से इसलिए उत्पन्न हुए हैं क्योंकि डी. ई. आर. सी. ने अन्य बातों के साथ-साथ जानबूझकर वैधानिक नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि ए. पी. टी. ई. एल. का विवादित आदेश डी. ई. आर. सी. द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अवैध तरीके को नोट करने में विफल रहा है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ए. पी. टी. ई. एल. पिछले मामलों में अपने स्वयं के फैसलों का पालन करने में विफल रहा है।

9. हालाँकि, प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत आवश्यक कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के अस्तित्व को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) की धारा 100 के साथ पढ़ा जाता है।

10. उपरोक्त प्रत्येक मुद्दे पर विस्तृत प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, भारत में बिजली कानूनों के वर्तमान और ऐतिहासिक कानूनी ढांचे का अवलोकन करना आवश्यक है, जिसमें शुल्क निर्धारण प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में डी. ई. आर. सी. की भूमिका और शक्तियां शामिल हैं।

11. स्वतंत्रता से पहले, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 ('1910 अधिनियम') भारत में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति और उपयोग को नियंत्रित करता था। भाग-II

1910 के अधिनियम का संबंध बिजली की आपूर्ति से था और इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल थेः

(क) राज्य विद्युत बोर्डों के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंस प्रदान करना।

(" एस. ई. बी. ") और

(ख) लाइसेंसधारियों, उपभोक्ताओं आदि का दायित्व और अधिकार।

अन्य तरीकों के साथ।

1910 के अधिनियम के भाग-III में गैर-लाइसेंसधारियों द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति, संचरण और उपयोग से संबंधित था। 1910 के अधिनियम के भाग-IV में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

विद्युत निरीक्षकों और केंद्रीय विद्युत बोर्ड ("सी. ई. बी".) जैसे अन्य प्राधिकरणों के साथ राज्य और केंद्रीय स्तरों पर सलाहकार बोर्डों का गठन, कर्तव्य। सी. ई. बी. को 1910 के अधिनियम की धारा 37 के तहत ऊर्जा के उत्पादन, संचरण, आपूर्ति और उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया था।

बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

12. बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 ("आपूर्ति अधिनियम, 1948") को निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए अधिसूचित किया गया थाः ((a) युक्तिकरण

बिजली का उत्पादन और आपूर्ति, (बी) विद्युत विकास के लिए अनुकूल उपाय करना; और (सी) उपरोक्त सभी प्रासंगिक मामले। आपूर्ति अधिनियम, 1948 एक अधिक विस्तृत और व्यापक संहिता थी और अपने-अपने राज्यों के भीतर बिजली के उत्पादन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एस. ई. बी. की स्थापना के लिए प्रदान की गई थी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.) राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की योजना और विकास के लिए।

बिजली प्रणाली।

13. विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 ('आयोग अधिनियम, 1998') को केंद्रीय विद्युत आयोग की स्थापना के लिए एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया था।

नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) और राज्य विद्युत नियामक

आयोग ("एस. ई. आर. सी".), बिजली शुल्क के युक्तिसंगतकरण, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और उससे जुड़े या आकस्मिक अन्य मामलों के लिए।

वहाँ तक। आयोग अधिनियम, 1998 का अध्याय-VI ऊर्जा शुल्क से संबंधित था और केंद्र और राज्य आयोगों द्वारा शुल्क के निर्धारण के लिए प्रदान किया गया था।

14. जहां तक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ("एन. सी. टी".) का संबंध है, दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (" सुधार अधिनियम, 2000) को निम्नलिखित के लिए अधिसूचित किया गया थाः

(ग) आम तौर पर, बिजली उद्योग के विकास और प्रबंधन के लिए अनुकूल उपाय करने के लिए, दिल्ली के
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाणिज्यिक, आर्थिक और प्रतिस्पर्धी तरीके से और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।

15. पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड ("डी. वी. बी".) के एकीकरण, पुनर्गठन और सुधार और बिजली वितरण के निजीकरण के अनुसार, 01.07.2002 के प्रभाव से, अपीलकर्ता अपने आपूर्ति क्षेत्र में संबंधित वितरण उपक्रमों और व्यवसाय में सफल हुए। अपीलार्थियों को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपूर्ति के अपने-अपने क्षेत्रों में बिजली का वितरण (व्हीलिंग) और खुदरा आपूर्ति करने के लिए डी. ई. आर. सी. द्वारा वितरण और खुदरा आपूर्ति लाइसेंस प्रदान किया गया है।

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

01.07.2002 से 31.03.2007 तक, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ("DTL") को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में थोक खरीद और बिजली की थोक आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

16. वर्ष 2003 में संसद ने पिछले तीन कानूनों को निरस्त कर दिया। , 1910 का अधिनियम, आपूर्ति अधिनियम, 1948 और आयोग अधिनियम, 1998, और विद्युत अधिनियम, 2003 नामक एक व्यापक समेकित कानून अधिनियमित किया। अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(ख) बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करना, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना। (ग) बिजली दरों को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल और पर्यावरणीय रूप से बढ़ावा देना।

सौम्य नीतियाँ,

(घ) सी. ई. ए., विद्युत नियामक आयोगों का गठन और मामलों के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना। इसके साथ जुड़ा हुआ या प्रासंगिक है।

17. 2003 के अधिनियम की योजना बिजली को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों को समेकित करने और मौजूदा कानूनों को निरस्त करने पर आधारित है। विधायी 2003 के अधिनियम में शुल्क निर्धारण से सरकार को दूर रखने की नीति को आगे बढ़ाया गया था। 2003 के अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य बिजली क्षेत्र को उदार बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि बिजली का वितरण और आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर की जाए। विधायिका का उद्देश्य ऐसे कारकों को बढ़ावा देना था जो दक्षता, प्रतिस्पर्धा, संसाधनों के किफायती उपयोग और इष्टतम निवेश को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करते हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं और बिजली की लागत की उचित तरीके से वसूली करते हैं जैसा कि नीचे परिकल्पना की गई है।

2003 के अधिनियम की धारा 61।

18. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए जिम्मेदार विनियमित लाइसेंसधारी होने के नाते

2003 के अधिनियम की धारा 12 की शर्तों के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय करने के लिए अपीलकर्ताओं की वार्षिक राजस्व आवश्यकता और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क को राज्य विद्युत नियामक आयोग होने के नाते डी. ई. आर. सी. द्वारा विनियमित किया जाता है। डी. ई. आर. सी. के पास विभिन्न शक्तियों का एक बड़ा समूह निहित है-विधायी, कार्यकारी, न्यायिक बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड।

और सलाहकार-प्रत्येक को स्पष्ट रूप से परिभाषित और कानून द्वारा शासित किया जा रहा है। इन दीवानी अपीलों में उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक ऐसे प्रत्येक कार्य की पवित्रता और उनकी परस्पर क्रिया से संबंधित है। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि 2003 के अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" खंड 3. राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना। -

(1) केंद्र सरकार समय-समय पर तैयार करेगी

राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति, के साथ परामर्श में

राज्य सरकारें और विकास के लिए प्राधिकरण संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर आधारित बिजली प्रणाली जैसे कि

(2) केंद्र सरकार राष्ट्रीय बिजली नीति प्रकाशित करेगी और समय-समय पर शुल्क नीति।

राज्य सरकारों और प्राधिकरण के साथ समीक्षा या संशोधन उप में निर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति

खंड (1)।

(4) प्राधिकरण एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार और इस प्रकार अधिसूचित करें

पाँच साल में एक बार योजना बनाएँ।

प्रदान किया गया

XXX

XXX

X

XX

(5) प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत की समीक्षा या संशोधन कर सकता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार योजना बनाएँ।

19. 2003 के अधिनियम की धारा 14 में लाइसेंस देने का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 15 के तहत किया गया आवेदन-(ए) पारेषण लाइसेंसधारी के रूप में बिजली संचारित करने के लिए; या (बी) वितरण लाइसेंसधारी के रूप में बिजली वितरित करने के लिए; या (सी) बिजली व्यापारी के रूप में बिजली में व्यापार करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में जो लाइसेंस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

20. 2003 के अधिनियम की धारा 43 में सार्वभौमिक आपूर्ति का प्रावधान है।

डिस्कॉम का दायित्व, जो निम्नानुसार हैः

" 43. अनुरोध पर आपूर्ति करने का कर्तव्य -

(1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, प्रत्येक वितरण

अनुज्ञप्तिधारी, किसी वस्तु के स्वामी या अधिभोगकर्ता के आवेदन पर,

ऐसे परिसर को एक परिसर के भीतर बिजली की आपूर्ति दें। ऐसी आपूर्ति की आवश्यकता वाले आवेदन की प्राप्ति के एक महीने बाद।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रदान किया गया

XXX

XXX

XXX

(2) & (3)

XXX "

XXX

XXX

21. 2003 के अधिनियम की धारा 61 मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करती है।

रिफ जो नीचे दिए गए हैं:

" 61. शुल्क नियम। - उपयुक्त आयोग इसके अधीन होगा।

इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट करें

शुल्क का निर्धारण, और ऐसा करने में, द्वारा निर्देशित किया जाएगा निम्नलिखित, अर्थात्:

केंद्र द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत और कार्यप्रणाली

(अ)

लागू शुल्क के निर्धारण के लिए आयोग उत्पादन करने वाली कंपनियां और पारेषण लाइसेंसधारी;

(ख)

उत्पादन, संचरण, वितरण और आपूर्ति

बिजली वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संचालित की जाती है;

वे कारक जो प्रतिस्पर्धा, दक्षता को प्रोत्साहित करेंगे,

((ग)

संसाधनों का किफायती उपयोग, अच्छा प्रदर्शन और

इष्टतम निवेश;

((घ)

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और साथ ही, उचित तरीके से बिजली की लागत की वसूली;

(ई)

प्रदर्शन में दक्षता को पुरस्कृत करने वाले सिद्धांत;

(च)

बहु-वर्षीय शुल्क सिद्धांत; कि शुल्क उत्तरोत्तर आपूर्ति की लागत को दर्शाता है

(जी)

बिजली और भी, तरीके से क्रॉस-सब्सिडी को कम करता है उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट;

(ज)

बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से;

राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीतिः

((i)

बशर्ते कि शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत, विद्युत नियामक

आयोग अधिनियम, 1998 और आयोग अधिनियम में निर्दिष्ट अधिनियम

एक वर्ष की अवधि के लिए या शर्तों तक आवेदन करना जारी रखेगा। और शुल्क की शर्तें इस धारा के तहत निर्दिष्ट की गई हैं, जो भी हो

पहले की बात है "। एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड। वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]22. 2003 के अधिनियम की धारा 62 और 64 में अन्य बातों के साथ-साथ व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के लिए शुल्क को समाप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

नीचे के रूप में धनः

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार - (क) उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण के लिए बिजली की आपूर्ति

लाइसेंसधारीः

बिजली की बिक्री या खरीद के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा, एक समझौते के अनुसरण में, एक के बीच किया गया उत्पादक कंपनी और एक लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के बीच,

उचित सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए

बिजली की कीमतें;

बिजली का संचरण;

(ख)

ओ (सी) बिजली का चक्र;

(घ) बिजली की खुदरा बिक्रीः

बशर्ते कि उसी क्षेत्र में बिजली के वितरण के मामले में दो या दो से अधिक वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा, उपयुक्त आयोग, वितरण लाइसेंसधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, तय कर सकता है।

बिजली की खुदरा बिक्री के लिए शुल्क की केवल अधिकतम सीमा।

(2) उपयुक्त आयोग को एक लाइसेंसधारी या एक उत्पादन कंपनी अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करेगी, जैसा कि उत्पादन, संचरण और वितरण के संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है

शुल्क का निर्धारण। (3) उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के तहत शुल्क का निर्धारण करते समय, किसी भी उपभोक्ता को अनुचित वरीयता नहीं दिखाएगा।

बिजली लेकिन उपभोक्ता के भार कारक, बिजली कारक, वोल्टेज, किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत या जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता होती है या किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और उस उद्देश्य के अनुसार अंतर कर सकती है जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता होती है। (4) [2022] 14 एस. सी. आर. के संबंध को छोड़कर, किसी भी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार किसी भी शुल्क या किसी भी शुल्क के हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(6) यदि कोई लाइसेंसधारी या उत्पादन करने वाली कंपनी किसी मूल्य की वसूली करती है या इस धारा के तहत निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क, अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जाएगी जिसने लाइसेंसधारी द्वारा किए गए किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक दर के बराबर ब्याज के साथ ऐसी कीमत या शुल्क का भुगतान किया है।

" 64. शुल्क आदेश के लिए प्रक्रिया।

(1) धारा 62 के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन

उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस तरह से और उस शुल्क के साथ किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) प्रत्येक आवेदक आवेदन को ऐसे संक्षिप्त रूप और तरीके से प्रकाशित करेगा, जो उपयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

आयोग।

(3) उपयुक्त आयोग, उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के एक सौ बीस दिनों के भीतर और जनता से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद,

(ख) लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दें यदि ऐसा आवेदन इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैः बशर्ते कि एक आवेदक को उसके आवेदन को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(4) उपयुक्त आयोग, आदेश देने के सात दिनों के भीतर, आदेश की एक प्रति उपयुक्त सरकार, प्राधिकरण और संबंधित लाइसेंसधारियों और व्यक्ति को भेजेगा। चिंतित हैं।

बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

लाइसेंसधारी जो बिजली वितरित करने और भुगतान करने का इरादा रखता है इसके लिए।

(6) एक प्रशुल्क आदेश, जब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है, उस अवधि के लिए लागू रहेगा जो प्रशुल्क आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

23. अपीलार्थियों का ए. आर. आर. और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से वसूल किया जाने वाला शुल्क, डी. ई. आर. सी. द्वारा विनियमित किया जाता है, और 2003 के अधिनियम की धारा 61 के साथ पठित धारा 62 के तहत निर्धारित किया जाता है। 24. 2003 के अधिनियम की धारा 86 इस मामले में राज्य आयोगों यानी डी. ई. आर. सी. के कार्यों और नियम बनाने की शक्ति को निर्धारित करती है।

केंद्र सरकार की धारा 176 में इसका उल्लेख किया गया है।

25. अन्य प्रश्नों पर विचार करने से पहले, आइए हम प्रतिवादी-डी. ई. आर. सी. के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करें कि क्या अपीलों में सी. पी. सी. की धारा 100 के साथ पठित 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत आवश्यक कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है?

26. 2003 के अधिनियम की धारा 125 में ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय या आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है जो निम्नानुसार हैः

" 125. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें।

अपीलीय के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

न्यायाधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में निर्दिष्ट किसी भी एक या अधिक आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

1908) :

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे आगे की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

साठ दिनों से अधिक नहीं। "

27. इस प्रकार, सी. पी. सी. की धारा 100 में निर्दिष्ट आधारों पर धारा 125 के तहत इस न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

सी. पी. सी. के अनुसार, एक अपील केवल तभी दायर की जा सकती है जब मामले में 'कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न' शामिल हो, जैसा कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय से उत्पन्न होने वाले 'कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न' का अस्तित्व 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए अपरिहार्य है।

28. सी. पी. सी. में 'अपील' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी (10 वां संस्करण) एक 'अपील' को परिभाषित करता है "एक ऐसी कार्यवाही जो किसी निर्णय को उच्च स्तर पर लाकर उस पर पुनर्विचार करने के लिए की जाती है।

प्राधिकार "। एक अपील एक अधीनस्थ के निर्णय की न्यायिक परीक्षा है।

अपील के तहत आदेश में किसी भी संभावित त्रुटि (ओं) को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय। कानून इस तथ्य की मान्यता में एक अपील का उपचार प्रदान करता है कि न्यायिक स्तरों का प्रबंधन करने वाले भी त्रुटियां कर सकते हैं। 29. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है या नहीं, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा सर चुनिलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम में निर्धारित किया गया था। द सेंचुरी एसपीजी। & एम. एफ. जी. कं. Ltd.[1] निम्नानुसारः (एयर पी। 1318, पैरा 6)

“ 6. ..... यह निर्धारित करने के लिए उचित परीक्षण कि क्या मामले में उठाया गया कानून का प्रश्न पर्याप्त है, हमारी राय में, यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या क्या यह प्रत्यक्ष रूप से और पक्षकारों के अधिकारों को काफी हद तक प्रभावित करता है और यदि ऐसा है तो क्या यह या तो इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि यह अंततः इस न्यायालय द्वारा या प्रिवी काउंसिल द्वारा या संघीय न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया है या कठिनाई से मुक्त नहीं है या वैकल्पिक विचारों की चर्चा के लिए आह्वान नहीं है। यदि प्रश्न का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है या प्रश्न का निर्धारण करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए जाते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का केवल एक सवाल है या यह कि उठाई गई याचिका स्पष्ट रूप से बेतुकी है, तो प्रश्न सारगर्भित नहीं होगा।

कानून का सवाल "।

यह निर्धारित करते हुए कि क्या किसी मामले में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, परीक्षण केवल प्रश्न का महत्व नहीं है, बल्कि मामले के लिए इसका महत्व है जिससे प्रश्न का निर्णय आवश्यक हो जाता है। यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त परीक्षण है कि क्या मामले में कानून का सवाल उठाया गया है 1 1 1962 सप्लीमेंट (3) एससीआर 549:

एयर 1962 एससी 1314 बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड। वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करता है। यदि यह स्थापित हो जाता है कि निर्णय कानून के विपरीत है या निर्णय कानून के कुछ भौतिक मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रहा है या यदि गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय में पर्याप्त त्रुटि या दोष है, तो अदालत निचली अदालत या न्यायाधिकरण के निष्कर्ष में हस्तक्षेप कर सकती है। मामले में शामिल दांव तब तक महत्वहीन हैं जब तक कि प्रभाव या

कानून के प्रश्न का प्रभाव पक्षों के बीच निहितार्थ पर पड़ता है।

31. इस प्रकार, दूसरी अपील में, अपीलार्थी को यह इंगित करने का अधिकार है कि आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि यह अभिवचनों का उल्लंघन है। या यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं था या यह भौतिक दस्तावेजी साक्ष्य के गलत अध्ययन पर आधारित था या इसे कानून के प्रावधान के खिलाफ दर्ज किया गया था या निर्णय ऐसा है जिस पर न्यायिक रूप से कार्य करने वाला कोई भी न्यायाधीश यथोचित रूप से नहीं पहुंच सकता था। एक बार जब अपीलीय न्यायालय अपील की सुनवाई के बाद संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उसे प्रश्न तैयार करना होता है और प्रत्यर्थी को सीधे नोटिस जारी करना होता है।

32. अब, आइए हम इस बात पर विचार करें कि क्या वर्तमान अपीलों में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। 33. ए. पी. टी. ई. एल. ने अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए 35 मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं। अपीलार्थियों के अनुसार, ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा तय किए गए छह मुद्दे

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देते हैं जो इस प्रकार हैं:

ए. टी. और सी. हानियों की गणना में कार्यप्रणाली में परिवर्तन।

1 .

मूल्यह्रास की गणना के लिए कार्यप्रणाली में परिवर्तन।

एन.

एफ. आर./एस. आर. संरचना के लिए वेतन की अस्वीकृति।

3 .

4 .

उपभोक्ता प्रतिभूति पर किए गए ब्याज की अस्वीकृति

डी. पी. सी. एल. द्वारा रखी गई जमा।

5 .

फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की अस्वीकृति।

6 .

प्रवर्तन बिक्री के संबंध में एम. यू. में कमी ए. टी. एंड सी. हानियों की गणना का उद्देश्य (यह मुद्दा संबंधित है)

चोरी/बिजली का अनधिकृत उपयोग)।

34. श्री अरविंद पी. दत्तार और श्री ध्रुव मेहता, अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करेंगे कि अंक संख्या पर एपीटीईएल के निष्कर्ष। 1 , 2 , 3 और 5 बाध्यकारी डी. ई. आर. सी. शुल्क विनियमों के विपरीत हैं। यह तर्क दिया जाता है कि नियामक 'ट्रुइंग अप अभ्यास' में 'खेल शुरू होने के बाद उसके नियमों को नहीं बदल सकता'। इस संबंध में, उन्होंने हमें [2022] 14 एस. सी. आर. में डी. ई. आर. सी. के निष्कर्षों के बारे में बताया है।

शुल्क आदेश और अंतिम चरण के बाद डी. ई. आर. सी. के निष्कर्ष भी।

यह आगे तर्क दिया जाता है कि शुल्क आदेश एक अर्ध-न्यायिक निर्धारण की प्रकृति में है और यह कि सही होने की आड़ में, डी. ई. आर. सी. एक शुल्क आदेश में संशोधन नहीं कर सकता है।

35. दूसरी ओर, श्री निखिल नय्यर, विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्यर्थी-डी. ई. आर. सी. की ओर से पेश होते हुए, प्रस्तुत करता है कि शुल्क निर्धारण अभ्यास के पहलुओं में से एक 'ट्रुइंग अप' की प्रक्रिया है। चूंकि प्रारंभिक शुल्क आदेश डी. ई. आर. सी. द्वारा तैयार किया जाता है, डिस्कॉम द्वारा अपनी ए. आर. आर. याचिका के रूप में प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर, बाद का शुल्क आदेश वित्तीय वर्ष के बाद 'ट्रुइंग अप' अभ्यास के अनुसार जारी किया जाता है। यह भी बताया गया है कि उपरोक्त छह मुद्दों पर निष्कर्ष न तो कानून के विपरीत हैं और न ही किसी भी विनियम के खिलाफ हैं।

36. विद्वान सलाहकारों की दलीलों पर विचार करना

पक्षकारों के लिए और विवादित आदेश का अध्ययन करने के बाद, हमारा विचार है कि इन अपीलों में कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं:

" अंक संख्या 1 पर

क्या अंक संख्या 1 पर विवादित निष्कर्ष इसके विपरीत हैं

(अ)

2003 के अधिनियम की धारा 3,61 (बी), (सी), (डी) और (ई), 62,64 (शुल्क नीति के साथ पठित) और 86 (3) के अधिदेश में

जिनकी शर्तें:

((i)

शुल्क से उपक्रम की सभी लागतों की वसूली सुनिश्चित होनी चाहिए।

उचित प्रतिफल के साथ बिजली का वितरण,

प्रदर्शन में लाभकारी दक्षता?

((ख)

नियामक खेल के नियमों को उसके बाद नहीं बदल सकता है। यह 'ट्रुइंग अप अभ्यास' में शुरू हो गया है?

(ख)

क्या विवादित निष्कर्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और बाध्यकारी में निर्दिष्ट शुल्क निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली

डी. ई. आर. सी. के शुल्क नियम?

अंक संख्या 2 पर

(अ)

क्या मुद्दा संख्या 2 पर विवादित निष्कर्ष इसके विपरीत हैं

2003 के अधिनियम की धारा 3,61 (बी), (सी), (डी) और (ई), 62,64 (शुल्क नीति के साथ पठित) और 86 (3) के अधिदेश में

जिनकी शर्तें:

राजधनी पावर लिमिटेड। वी. दिल्ली निर्वाचन आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

((i)

शुल्क से उपक्रम की सभी लागतों की वसूली सुनिश्चित होनी चाहिए।

उचित प्रतिफल के साथ बिजली का वितरण,

प्रदर्शन में लाभकारी दक्षता?

((ख)

नियामक खेल के नियमों को उसके बाद नहीं बदल सकता है।

यह 'ट्रुइंग अप अभ्यास' में शुरू हो गया है?

बाध्यकारी में निर्दिष्ट शुल्क निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली डी. ई. आर. सी. के शुल्क नियम?

एस. एस. यू. नंबर 3

क्या अंक संख्या 3 पर विवादित निष्कर्ष इसके विपरीत हैं

धारा 3,61 (बी), (सी), (डी) और (ई), 62,64 के अधिदेश के लिए

(2003 के अधिनियम की प्रशुल्क नीति) और 86 (3) के साथ पढ़ें।

जिनकी शर्तें:

शुल्क से उपक्रम की सभी लागतों की वसूली सुनिश्चित होनी चाहिए।

((i)

उचित प्रतिफल के साथ बिजली का वितरण,

प्रदर्शन में लाभकारी दक्षता?

((ख)

नियामक खेल के नियमों को उसके बाद नहीं बदल सकता है। यह 'ट्रुइंग अप अभ्यास' में शुरू हो गया है?

क्या विवादित निष्कर्ष बाध्यकारी वैधानिक का उल्लंघन करते हैं हस्तांतरण योजना और उनके बीच त्रिपक्षीय समझौते

जी. ओ. एन. सी. टी. डी., डी. वी. बी. और कर्मचारी संघ, जो डिस्कॉम के निजीकरण का आधार क्या है?

एस. एस. यू. नंबर 4

क्या अंक संख्या 4 पर विवादित निष्कर्ष इसके विपरीत हैं

धारा 3,61 (बी), (सी), (डी) और (ई), 62,64 के अधिदेश के लिए

(2003 के अधिनियम की प्रशुल्क नीति) और 86 (3) के साथ पढ़ें।

जिन शर्तों से शुल्क की सभी लागतों की वसूली सुनिश्चित होनी चाहिए उचित प्रतिफल के साथ बिजली का वितरण करना,

प्रदर्शन में लाभकारी दक्षता?

एस. एस. यू. नंबर 5

क्या अंक संख्या 5 पर आक्षेपित निष्कर्ष इसके विपरीत हैं 2003 के अधिनियम की धारा 3,61 (बी), (सी), (डी) और (ई), 62,64 (शुल्क नीति के साथ पठित) और 86 (3) के अधिदेश में

जिनकी शर्तें:

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i)

शुल्क से उपक्रम की सभी लागतों की वसूली सुनिश्चित होनी चाहिए।

उचित प्रतिफल के साथ बिजली का वितरण,

प्रदर्शन में लाभकारी दक्षता?

((ख)

नियामक खेल के नियमों को उसके बाद नहीं बदल सकता है।

यह 'ट्रुइंग अप अभ्यास' में शुरू हो गया है?

क्या विवादित निष्कर्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और

(ख)

बाध्यकारी में निर्दिष्ट शुल्क निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली

डी. ई. आर. सी. के शुल्क नियम?

अंक संख्या 6 पर

(क) क्या मुद्दा संख्या 6 पर आक्षेपित निष्कर्ष इसके विपरीत हैं धारा 3,61 (ख), (ग), (घ) और (ङ), 62,64 (पठित) का अधिदेश

2003 के अधिनियम की प्रशुल्क नीति) और 86 (3) के संदर्भ में

किस शुल्क से उपक्रम की सभी लागतों की वसूली सुनिश्चित होनी चाहिए

उचित प्रतिफल के साथ बिजली का वितरण, लाभदायक प्रदर्शन में कुशलता?

(ख) क्या विवादित निष्कर्ष तय किए गए कानून के खिलाफ हैं कि जब कोई क़ानून एक कानूनी कल्पना बनाता है अर्थात ऊर्जा का मूल्यांकन किया जाता है

" माना जाता है कि "उपभोग किया जाना है, उसी को प्रभाव दिया जाना चाहिए

इसके सभी परिणामों के साथ अर्थात ऊर्जा की समान मात्रा होनी है

आपूर्ति के रूप में गणना की गई? 37. चार मुद्दों पर उठाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक

(मुद्दा संख्या। 1, 2, 3 और 5) यह है कि क्या 2003 के अधिनियम की धारा 64 के तहत किए गए शुल्क आदेश में संशोधन करने की अनुमति है। अभ्यास जिसका उपरोक्त प्रत्येक मुद्दे का उत्तर देने से पहले उत्तर दिया जाना आवश्यक है।

38. 2003 के अधिनियम की धारा 82 में एक के गठन की परिकल्पना की गई है

राज्य विद्युत नियामक आयोग। अधिनियम की धारा 84 के आधार पर, ऐसे राज्य आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जो "क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा" रखने वाले व्यक्ति होते हैं।

इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त ज्ञान और क्षमता दिखाई है, जिसमें अध्यक्ष एक व्यक्ति है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

39. 2003 के अधिनियम की धारा 82 के तहत गठित डी. ई. आर. सी.

विशेषज्ञ निकाय अधिनियम के तहत व्यापक शक्तियों और कार्यों के साथ निहित है। इसमें नियम बनाने की शक्ति और शुल्क निर्धारित करने की शक्ति शामिल है।

बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

40. 2003 के अधिनियम की धारा 86 के तहत, राज्य आयोग बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और पहियों के लिए शुल्क के निर्धारण सहित विभिन्न कार्यों को करता है। राज्य के भीतर, जैसा भी मामला हो, थोक, थोक या खुदरा। वर्तमान मामले में शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया, आयोग की व्यापक नियामक शक्ति के हिस्से के रूप में, 2003 के अधिनियम की धारा 62 और 64 के अनुसार की जानी है। धारा 62 के अनुसार, उपयुक्त आयोग (वर्तमान मामले में राज्य आयोग) बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शुल्क निर्धारित करेगा।

41. उपरोक्त कार्यों के अलावा, राज्य आयोग के पास आयोग की धारा 181 के तहत विनियम बनाने की शक्ति भी निहित है।

2003 का अधिनियम-अन्य बातों के साथ-साथ "धारा 61 के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें" और "धारा 64 की उप-धारा (3) के तहत संशोधनों या शर्तों के साथ शुल्क आदेश जारी करना"।

42. यह ध्यान रखना उचित है कि विनियमों को तैयार करते समय, राज्य आयोग को निम्न में निर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है - 2003 के अधिनियम की धारा 61।

वर्तमान मामला। 44. डी. ई. आर. सी., एक दी गई बहु-वर्षीय अवधि (जिसे नियंत्रण अवधि भी कहा जाता है) के लिए, शुल्क के निर्धारण के लिए नियम बनाता है। डी. ई. आर. सी. तब

टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए बल जब तक कि संशोधित या निरस्त। इसलिए, यदि कोई भी पक्ष शुल्क आदेश के किसी भी खंड से व्यथित है, तो वे इस प्रावधान के तहत इसके संशोधन या निरसन की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा, उक्त आदेश 2003 के अधिनियम की धारा 111 के तहत अपीलीय [2022] 14 एस. सी. आर. के समक्ष भी अपील योग्य है।

न्यायाधिकरण और उसके बाद धारा 125 के तहत इस न्यायालय के समक्ष। शुल्क

धारा 64 के तहत दिया गया आदेश अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है और यह बाध्यकारी है क्योंकि-यह-पक्षों पर है जब तक कि इसे किसी प्रक्रिया में संशोधित या संशोधित नहीं किया जाता है।

कानून से परिचित।

46. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार और श्री ध्रुव मेहता ने कहा है कि 'सच साबित' नहीं किया जा सकता है।

ए. आर. आर. के निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली को खराब करने के लिए उपयोग किया जाता था। उनके अनुसार, इस तरह का आचरण अनिवार्य रूप से 'खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने' या अपीलार्थियों को वैध भत्तों से इनकार करने के एकमात्र इरादे से 'गोल पोस्ट को बदलने' के बराबर है। यह भी तर्क दिया जाता है कि 'ट्रुइंग अप' चरण डी. ई. आर. सी. के लिए लाइसेंसधारी की राजस्व आवश्यकता के प्रारंभिक अनुमानों में शामिल बुनियादी सिद्धांतों, परिसरों और मुद्दों पर नए सिरे से सोचने का अवसर नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि शुल्क को नियंत्रित करने के लिए डी. ई. आर. सी. के पास कोई निरंकुश शक्ति नहीं है

निर्धारण प्रक्रिया के साथ-साथ 'ट्रुइंग अप' अभ्यास।

47. दूसरी ओर, प्रतिवादी-डी. ई. आर. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निखिल नय्यर ने प्रस्तुत किया है कि शुल्क निर्धारण अभ्यास के पहलुओं में से एक 'सही होने' की प्रक्रिया है। चूंकि प्रारंभिक शुल्क आदेश डी. ई. आर. सी. द्वारा डिस्कॉम द्वारा अपनी ए. आर. आर. याचिका के साथ प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर तैयार किया जाता है, इसलिए बाद का शुल्क आदेश है - 'ट्रुइंग अप' अभ्यास के अनुसार वित्तीय वर्ष के बाद जारी किया गया। 'ट्रुइंग अप' की प्रक्रिया के लिए डी. ई. आर. सी. को विवेकपूर्ण जाँच करने की आवश्यकता होती है। विवेक जाँच मात्र लेखांकन या गणितीय अभ्यास नहीं है। एक विवेकपूर्ण जाँच के लिए डिस्कॉम द्वारा किए गए या प्रस्तावित खर्च की तर्कसंगतता और ऐसे अन्य कारकों की जांच की आवश्यकता होती है जिन्हें डी. ई. आर. सी. टैरिफ के निर्धारण के लिए उचित समझता है। डी. ई. आर. सी. एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते, विभिन्न विनियमों में दर्ज उनकी समझ को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि पूरे 'ट्रुइंग अप' अभ्यास के दौरान नियंत्रण कारक स्वयं एम. वाई. टी. विनियम हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि डी. ई. आर. सी. द्वारा की जाने वाली शुल्क निर्धारण प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है। शुल्क निर्धारण अभ्यास में प्रारंभिक शुल्क आदेश शामिल है-तत्काल मामले में यह 23.02.2008 है---अन्य बातों के साथ-साथ ए. आर. आर. और बहु-वर्षीय शुल्क आदेश।

वर्ष, एफ. वाई. 2007-08 से F.Y.2010-11, साथ ही साथ बाद का टैरिफ ऑर्डर दिनांक 26.08.2011, अन्य बातों के साथ, एफ. वाई. 2008-09 और एफ. वाई. 2009-10 के लिए 'सही' है। श्री नय्यर ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। तारिणी अवसंरचना

लिमिटेड और अन्य 2 उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में।

2 (2016) 8 एस. सी. सी. 743 बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड। वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

48. हमने पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हम पहले ही देख चुके हैं कि राज्य

धारा 82 के तहत गठित विद्युत नियामक आयोग

2003 अधिनियम एक बहु-सदस्य निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं जो पर्याप्त ज्ञान, क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होते हैं जिन्हें पर्याप्त ज्ञान होता है, और जिन्होंने इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में क्षमता दिखाई है, जिसमें अध्यक्ष एक व्यक्ति होता है।

जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। 2003 के अधिनियम की धारा 86 के तहत, राज्य आयोग विभिन्न कार्यों को करता है जिनमें शामिल हैं -

राज्य के भीतर थोक, थोक या खुदरा में बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और पहियों के लिए शुल्क का निर्धारण। शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया 2003 के अधिनियम की धारा 62 और 64 के अनुसार की जानी है। यह अच्छी तरह से तय है कि आयोग (इस मामले में, डी. ई. आर. सी.) शुल्क निर्धारित करते समय एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, सचिव 3 के माध्यम से निम्नानुसारः

" 50. उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, मूल्य निर्धारण अभ्यास वास्तव में विधायी है, जब तक कि किसी विशेष क़ानून की शर्तों द्वारा इसे अर्ध-न्यायिक नहीं बनाया जाता है, जैसा कि 2003 के अधिनियम की धारा 111 के तहत अपील योग्य धारा 62 के तहत शुल्क निर्धारण के मामले में किया गया है।

धारा 61 सी. ई. आर. सी. द्वारा विनियमों को तैयार करने के लिए एक सक्षम प्रावधान है। यदि कोई "शुल्क" को एक विषय-वस्तु के रूप में लेता है, तो यह पाया जाता है कि 2003 के अधिनियम के भाग VII के तहत वास्तविक निर्धारण/निर्धारण शुल्क धारा 62 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाता है जबकि धारा 61 सामान्य प्रस्तावों वाले विनियमों को तैयार करने के लिए सक्षम प्रावधान है जिसके अनुसार उपयुक्त आयोग को शुल्क तय करना होता है। यह मूल योजना समान रूप से एक अलग वैधानिक संदर्भ में "व्यापार मार्जिन" विषय पर लागू होती है जैसा कि चर्चा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।

यहाँ नीचे "।

49. डी. ई. आर. सी. धारा 62 के तहत लाइसेंसधारी के शुल्क को इस तरह से निर्धारित करता है जैसा कि 2007 एम. वाई. टी. विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। यह कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करके और साथ ही उचित तरीके से बिजली की लागत की वसूली करके नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि बिजली का वितरण और आपूर्ति की जाती है।

3 3 (2010) 4 एससीसी 603 [2022] 14 एस. सी. आर.

50. डी. ई. आर. सी. अनुज्ञप्तिधारी के ए. आर. आर. अर्थात अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यवसाय शुरू करने की लागत निर्धारित करता है जिसकी अनुमति इसके अनुसार दी जाती है। डी. ई. आर. सी. द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकता जिसे शुल्क से वसूल किया जाना है

DERC। 51. जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक शुल्क आदेश अर्ध-न्यायिक प्रकृति का होता है जो अंतिम हो जाता है और पक्षों पर तब तक बाध्यकारी होता है जब तक कि इसे संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है।

धारा 64 (6) के तहत या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अलग रखा गया। इसके अलावा, हमारा यह भी विचार है कि डी. ई. आर. सी. ए. आर. आर. के प्रारंभिक अनुमान में शामिल बुनियादी सिद्धांतों, परिसरों और मुद्दों को बदलकर प्रारंभिक शुल्क निर्धारण में उपयोग किए जाने वाले नियमों/कार्यप्रणाली को नहीं बदल सकता है।

52. ' ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा एस. एल. डी. सी. बनाम में 'ट्रुइंग अप' आयोजित किया गया है। जी. ई. आर. सी. 4 का अर्थ ए. आर. आर. के तहत निर्धारित अनुमानित/अनुमानित राशि के खिलाफ लाइसेंसधारी द्वारा की गई वास्तविक राशि का समायोजन है। ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा एन. डी. पी. एल. बनाम में अपने निर्णय में 'सत्यनिष्ठा' की अवधारणा पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। डी. ई. आर. सी. 5 जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

उपयोगिता आयोग को किसी विशेष उपयोगिता द्वारा अपेक्षित राजस्व का यथोचित अनुमान लगाना होता है और ऐसा आकलन होना चाहिए - व्यावहारिक विचारों के आधार पर। ..... वर्ष के अंत में वास्तविक खर्चों और वर्ष की शुरुआत में अनुमानित खर्चों के बीच के अंतर को भरने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। जब उपयोगिता प्रत्याशित व्यय का अपना विवरण देती है, तो आयोग को इसे स्वीकार करना पड़ता है, सिवाय इसके कि जहां -

आयोग के पास उपयोगिता के विवरण से भिन्न होने के कारण हैं और उसके कारणों को दर्ज करता है या जहां आयोग प्रत्याशित व्यय को कम करने के लिए कुछ तरीका सुझा सकता है।

42015 एससीसी ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 50 [पैरा. 17] 5 2007 ईएलआर (एपीटीईएल) 193 बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड।

अनुमति न देकर उपयोगिता के दावे को सीमित करने की यह प्रक्रिया उचित रूप से प्रत्याशित व्यय और वास्तविक कार्य में आवश्यक कार्य करने की पेशकश विवेकपूर्ण नहीं है।

53. ए. पी. टी. ई. एल. ने अपने बाद के निर्णयों में इस दृष्टिकोण का लगातार पालन किया है और हम ए. पी. टी. ई. एल. के उपरोक्त दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। हमारी राय में, डी. ई. आर. सी. के लिए राजस्व आवश्यकता के प्रारंभिक अनुमानों में शामिल बुनियादी सिद्धांतों, परिसरों और मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने का अवसर नहीं है। लाइसेंसधारी '। शुल्क निर्धारण की कार्यप्रणाली/सिद्धांतों को पूर्वव्यापी रूप से बदलने और मूल शुल्क निर्धारण आदेश को फिर से खोलने के लिए 'ट्रू-अप' अभ्यास नहीं किया जा सकता है जिससे शुल्क निर्धारण प्रक्रिया को 'ट्रू-अप' स्तर पर शून्य पर स्थापित किया जा सके।

54. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (उपरोक्त) में, यह न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जहां एक उत्पादन कंपनी और एक वितरण लाइसेंसधारी के बीच बिजली खरीद समझौते में शुल्क को शामिल किया गया था।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि पक्षकारों द्वारा और उनके बीच सहमत शुल्क, हालांकि एक संविदात्मक संदर्भ में एक उल्लेख पाया जाता है, पक्षकारों की इच्छा के एक कार्य का परिणाम है जो किसी भी मामले में नहीं हो सकता है

आपसी सहमति के अलावा परिवर्तित किया गया। हमारा विचार है कि यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। 55. विवेकपूर्ण जाँच के बहाने डी. ई. आर. सी. द्वारा पहले से निर्धारित शुल्क में संशोधन या पुनर्निर्धारण करना उचित होगा।

शुल्क आदेश के संशोधन के लिए, जो केवल 2003 के अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उस अवधि के भीतर किया जा सकता है जिसके लिए शुल्क आदेश लागू था। हमारे विचार में, डी. ई. आर. सी. संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 'ट्रू-अप' की आड़ में 01.04.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए शुल्क आदेश में संशोधन नहीं कर सकता है और इसे बाद के शुल्क आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह एक राशि होगी

56. मुद्दा संख्या। 1 , 2 , 3 , और 5: हम पहले ही देख चुके हैं कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक अंक संख्या में शामिल है। 1 , 2 , 3 और 5 है क्या नियामक 'टुइंग अप अभ्यास' में 'खेल शुरू होने के बाद उसके नियमों को बदल सकता है'।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. मुद्दा संख्या 1; मूल एम. वाई. टी. निर्धारण में (शुल्क आदेशः .05.2009) , डी. ई. आर. सी. ने संग्रह दक्षता की गणना करते समय पूर्ण विलंब भुगतान ई ('एल. पी. एस. सी.') राजस्व के साथ-साथ डी. वी. बी. बकाया को भी ध्यान में रखाः

" 3.10 . ए. टी. एंड सी. हानि स्तर के घटकों का विश्लेषण

यह इंगित करता है कि ऊर्जा की बिक्री के कारण राजस्व संग्रह रु। 2810.3 CRs। हालाँकि, इस राशि को याचिकाकर्ता के लेखापरीक्षित खातों से सत्यापित नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता ने कहा है,

इसके बजाय, इसकी पुष्टि करने के लिए एक दैनिक संग्रह पत्रक प्रस्तुत किया

3.11 आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति ग्रहणशील नहीं है दैनिक संग्रह पत्रक से संग्रह का सत्यापन करना

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित। तदनुसार, याचिकाकर्ता था

सत्यापन सत्र के दौरान ऋणदाताओं के शुरुआती स्तरों, वर्ष के दौरान की गई बिक्री, डी. वी. बी. बकाया संग्रह और ऋणदाताओं के समापन स्तर के आधार पर एकत्र की गई नकदी की राशि को वित्त वर्ष 07-08 के लिए दिखाए गए कुल संग्रह के साथ मिलान करने का निर्देश दिया गया।

हालाँकि, याचिकाकर्ता ने सुलह करने में असमर्थता व्यक्त की

इस पद्धति का उपयोग करते हुए आंकड़े।

3.12 . इसके बाद, याचिकाकर्ता को अपने सांविधिक द्वारा विधिवत ऑडिट किए गए दैनिक संग्रह पत्रक की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

लेखा परीक्षकों को यह स्थापित करना चाहिए कि दैनिक संग्रह पत्रक में उल्लिखित राशि में राजस्व के अन्य स्रोतों जैसे कि द्वैपाक्षिक, अंतर-राज्य, यू. आई. आदि के माध्यम से बिजली की बिक्री और संचालन से राजस्व (गैर-ऊर्जा) के कारण कोई संग्रह शामिल नहीं है। 3.13 . उपरोक्त के जवाब में, याचिकाकर्ता ने एक प्रति प्रस्तुत की

दिन-वार प्रमाणित करने वाले अपने सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र का

वित्त वर्ष 07-08 के लिए संग्रह विवरण इसके पत्र सं. आरसीएम/08 09/245 दिनांक 16 फरवरी, 2009। प्रमाण पत्र में ऊर्जा के व्यापार, गैर-ऊर्जा शुल्क, जी. ओ. एन. सी. टी. डी. से प्राप्त सब्सिडी आदि के कारण किए गए संग्रह के बहिष्करण को स्पष्ट किया गया है और

एल. पी. एस. सी., बिजली शुल्क, बी. आर. पी. एल. की ओर से बी. वाई. पी. एल. द्वारा एकत्रित राशि आदि को शामिल करना। 3.14 . तदनुसार, में दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर

सांविधिक लेखापरीक्षकक प्रमाणपत्र आ लेखापरीक्षित वित्तीय

विवरण, दैनिक संग्रह पत्रक में उल्लिखित राशि

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत को ध्यान में रखा गया है।

बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

3.24 . उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, संशोधित एटी एंड सी

नियंत्रण के पहले वर्ष के लिए याचिकाकर्ता के नुकसान के स्तर अवधि अर्थात वित्त वर्ष 07-08 का सारांश नीचे दी गई तालिका 6 में दिया गया हैः

तालिका 6: वित्त वर्ष 07-08 (Rs.crs) के लिए सही-सही AT & C नुकसान।

विशिष्टताएँ	राशि
जोड़ेंः	
चोरी का संग्रह	60.4
अनुदान	48.4
47.8	
छूट दें।	
सरकार से डी. वी. बी. बकाया एकत्र किया गया	64.5
डीपीसीएल द्वारा निकाय वित्त वर्ष के दौरान कुल अन्य संग्रह 07-08	221.0
(ए) वित्त वर्ष में कुल संग्रह 07-08	3031.2
7	
(ख) ए. टी. एंड सी. के लिए विचार किया गया बिल राजस्व	2889.9
9	
(ग) संग्रह दक्षता (ए/बी)	

104.89 %

वितरण हानि स्तर वित्त वर्ष 07-08

30.89 %

वित्त वर्ष 07-08 के लिए ए. टी. एंड सी. घाटा

27.51 % "

58. हालांकि, विचाराधीन वर्ष के लिए तैयार होने के दौरान, डी. ई. आर. सी.

एल. पी. एस. सी. ने अनुमानित संग्रह दक्षता के साथ वास्तविक संग्रह दक्षता की तुलना में एल. पी. एस. सी. पर वित्तपोषण लागत में कटौती करके एल. पी. एस. सी. के राजस्व का हिस्सा लेने का प्रयास किया है। इसलिए, एल. पी. एस. सी. राजस्व पर वित्तपोषण लागत की अनुमति देना और फिर इसे एल. पी. एस. सी. राजस्व से काटना एक तरफ देने और दूसरी तरफ ले जाने के समान होगा। डी. ई. आर. सी. का यह आदेश मूल एम. वाई. टी. निर्धारण के विपरीत है।

59. मुद्दा संख्या 2: दिनांकित मूल निर्धारण आदेश में

28.05.2009 (एफ. वाई. 2008-09), डी. ई. आर. सी. ने उपभोक्ता योगदान द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की अनुमति दी है। हालांकि, डी. ई. आर. सी. ने बदल दिया सही होने के चरण में ए. आर. आर. की गणना की पद्धति। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील के अनुसार, डी. ई. आर. सी. ने अनजाने में एक त्रुटि की थी और मूल रूप से शुल्क आदेश जारी करते समय मूल्यह्रास की गणना करते समय 2007 एम. वाई. टी. विनियमों के जनादेश के विपरीत एक दृष्टिकोण अपनाया था, जिसे वास्तविक अभ्यास में ठीक किया गया था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि डी. ई. आर. सी. द्वारा दिनांकित टैरिफ आदेश में कोई त्रुटि नहीं की गई है और यह प्रासंगिक एम. वाई. टी. विनियमों पर विचार करने के बाद ही है कि [2022] 14 एस. सी. आर. का मूल्यह्रास हुआ है।

उन परिसंपत्तियों पर अपीलकर्ताओं को अनुमति दी गई थी जिन्हें उपभोक्ता योगदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

60. दिनांक 28.05.2009 के टैरिफ आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद उपरोक्त मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है। हम पहले ही मान चुके हैं कि वास्तविक प्रक्रिया के दौरान शुल्क आदेश में संशोधन करने की अनुमति नहीं है। विवेकपूर्ण जाँच और सच्चाई के बहाने, डी. ई. आर. सी. संशोधन नहीं कर सकता था

शुल्क आदेश।

61. मुद्दा संख्या 3: संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए खर्चों के अनुमान के दौरान, दिनांक 23.02.2008 के टैरिफ आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशित छठे केंद्रीय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी खर्चों का अनुमान लगाया गया था। वेतन आयोग की रिपोर्ट। उक्त शुल्क आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

" 4.99 याचिकाकर्ता ने कर्मचारी खर्च प्रस्तुत किए हैं

वित्त वर्ष 2007 में रुपये 137.60 करोड़ के रूप में और इसे नियंत्रण अवधि के लिए आधार के समान माना गया है। याचिकाकर्ता ने वृद्धि कारक का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया है

नियंत्रण अवधि के लिए कर्मचारी खर्चों के लिए:

(क) छठे वेतन आयोग की प्रत्याशित रिपोर्ट

(ग) वेतन के रुझानों पर प्रमुख मानव संसाधन सलाहकारों का शोध

(घ) उपभोक्ताओं के विकास को पूरा करने के लिए पिछले 12 महीनों के दौरान कर्मचारियों में मुद्रास्फीति में वृद्धि। 4.100
याचिकाकर्ता ने अपने कुल कर्मचारी खर्च का अनुमान लगाया है।

विभिन्न वृद्धि दरों पर विचार करते हुए नियंत्रण अवधि के लिए कर्मचारी व्यय के विभिन्न घटकों के लिए। कर्मचारी व्यय के विभिन्न घटकों के लिए वार्षिक वृद्धि दर

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित नीचे दिए गए हैं:

(क) मूल वेतनः नियंत्रण अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों के मूल वेतन में साल दर साल वृद्धि की गई है।

वित्त वर्ष 2008 के लिए अनुमानित 23.2%, 11.1%, 11.3%, और 11.5%,

क्रमशः वित्त वर्ष 2009, वित्त वर्ष 2010 और वित्त वर्ष 2011।

(ख) महँगाई भत्ता (डी. ए.): डी. ए. में वार्षिक अनुमानित वृद्धि वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 9 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 6 प्रतिशत मानी जाती है।

क्रमशः वित्त वर्ष 2010 और वित्त वर्ष 2011।

(ग) अंतिम लाभः अंतिम लाभों में योगदान /

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए महँगाई भत्ता। (घ) एच. आर. ए. सहित अन्य भत्ते और खर्चः मूल वेतन के अनुपात में माना जाता है "।

62. डी. ई. आर. सी. ने अपने एम. वाई. टी. टैरिफ आदेश दिनांक आई. डी. 1 में पूरी अवधि के लिए कर्मचारी खर्चों का अनुमान लगाते हुए छठे केंद्रीय वेतन की अनियंत्रित प्रकृति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था।मिशन रिपोर्ट के साथ-साथ एस. आर. कर्मचारियों के वेतन पर इसका प्रभाव और यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि एफ. आर. और एस. आर. कर्मचारियों का वेतन एक अनियंत्रित वस्तु है और यह कि यह वास्तविक रूप से सही होगा

: :

" 4.108 निजीकरण प्रक्रिया के दौरान, पूर्ववर्ती डी. वी. बी. के कर्मचारियों के एक हिस्से को बी. आर. पी. एल. में स्थानांतरित कर दिया गया था। के अनुसार

स्थानांतरण योजना, सेवा के नियम और शर्तें

अंतरिती कंपनी में पूर्ववर्ती बोर्ड कर्मचारियों के लिए लागू होना किसी भी तरह से स्थानांतरण से तुरंत पहले उनके लिए लागू होने वाले लाभ से कम या कम नहीं होगा। इसके अलावा, उनकी सेवाओं को निजीकरण से पहले उन पर लागू विभिन्न नियमों और कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहेगा। इस प्रकार बी. आर. पी. एल. में पूर्ववर्ती डी. वी. बी. कर्मचारियों का वेतन/मुआवजा और पदोन्नति अभी भी नियमों और वेतन द्वारा नियंत्रित होती है। जी ओ एन सी टी डी द्वारा निर्दिष्ट पैमाने।

4.109 उपरोक्त पर विचार करते हुए आयोग ने छठे वेतन की अनियंत्रित प्रकृति को मान्यता दी है नियंत्रण अवधि के दौरान कर्मचारी खर्चों के निर्धारण में आयोग की सिफारिशें। आयोग ने

मान लिया कि वेतन में संशोधन, यदि कोई हो, 1 जनवरी, 2006 से लागू होगा। आयोग ने कर्मचारियों के कुल खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर विचार किया है।

उसी के कारण वित्त वर्ष 2006 (3 महीने) और वित्त वर्ष 07।

4.112 इसी तरह, प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन में वृद्धि पर विचार किया गया है, लेकिन इस तरह की वृद्धि का प्रभाव केवल वित्त वर्ष 2009 से लिया गया है। आयोग छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के वास्तविक प्रभाव के आधार पर इसके प्रभाव को सही करेगा।

4.113 संशोधित कर्मचारी खर्चों का सारांश

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभाव पर विचार करना नीचे दिया गया है:

तालिका 72: वित्त वर्ष 2006 और वित्त वर्ष 07 के लिए संशोधित कर्मचारी व्यय

(करोड़ रुपये)

विशिष्टताएँ	वित्त वर्ष 06	वित्त वर्ष 07
ट्रु अप में स्वीकृत कर्मचारी लागत	167.54	184.05
कमः एसवीआरएस परिशोधन को मंजूरी	(46.41)	(46.45)
शुद्ध कर्मचारी व्यय	121.13	137.60
डी. वी. बी. से संबंधित कर्मचारी व्यय	75.64	85.92
कर्मचारी गैर-डीवीबी 45.50 से संबंधित कर्मचारी व्यय		51.68

कर्मचारी

8.60

10 % वेतन आयोग के कारण वृद्धि

1.89

सिफारिशें संशोधित कर्मचारी व्यय

123.02

146.19

4.114 कर्मचारी के खर्चों की गणना के लिए

नियंत्रण अवधि में आयोग ने निम्नलिखित पर विचार किया है:

(क) आधार वर्ष के लिए संशोधित कर्मचारी व्यय किए गए हैं

तालिका 67 में उल्लिखित वृद्धि कारकों के अनुसार वृद्धि हुई

नियंत्रण अवधि के लिए कर्मचारी के खर्चों पर पहुंचने के लिए।

(ख) छठे वेतन आयोग के प्रभाव के कारण सभी बकाया

की सिफारिश के कारण उत्पन्न बकाया का अनुमान लगाना वित्त वर्ष 2008 के लिए छठे वेतन आयोग ने

कर्मचारी के खर्चों के बीच के अंतर पर विचार करें संशोधित कर्मचारियों के खर्चों में वृद्धि करके वित्त वर्ष 2008 आया

वित्त वर्ष 2007 के लिए (यानी 146.19 करोड़ रुपये) और कर्मचारियों के लिए खर्च

वित्त वर्ष 2008 में कर्मचारियों के बढ़े हुए खर्चों में वृद्धि हुई

(एस. वी. आर. एस. परिशोधन का शुद्ध) वित्त वर्ष 2007 के लिए (अर्थात 137.60 करोड़ रुपये)।

63. हालांकि, अपने स्वयं के उपक्रम के विपरीत, शुल्क में DERC

r दिनांकित 26.08.2011 ने गलती से अपनी कार्यप्रणाली बदल दी है।

एफ. आर./एस. आर. के कर्मचारी खर्चों की अनुमति नहीं देकर, सुधार का चरण

वास्तविक के अनुसार। डी. ई. आर. सी. ने प्रक्रिया को सही ठहराते हुए एफ. आर. एंड एस. आर. के वास्तविक वेतन की अनुमति नहीं दी है।

ओयीस, जो अस्वीकार्य है। दिनांकित शुल्क आदेश में डी. ई. आर. सी.

. 2011 इसे सही साबित करने के अपने स्वयं के उपक्रम के विपरीत कार्य किया है

छठे केंद्रीय वेतन के कारण कर्मचारियों के खर्चों की गणना

मिशन रिपोर्ट।

बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

64. मुद्दा संख्या 5: यह मुद्दा सीमांत लाभ कर की अस्वीकृति के संबंध में है। डी. ई. आर. सी. ने एम. वाई. टी. आदेश में सीमांत लाभ कर की अनुमति दी है। दिनांकित 23.02.2008। दिनांकित एम. वाई. टी. आदेश का प्रासंगिक उद्धरण 23.02.2008 निम्नानुसार हैः

" आयोग का विश्लेषण

4.242 आयोग की राय है कि नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक कर देयता का अनुमान लगाना कठिन है और

जटिल। इस प्रकार सरलता के लिए, आयोग ने आयकर और सीमांत लाभ खर्चों के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आयोग, हालांकि, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक कर देयता के आधार पर कर खर्चों को सही करेगा। आयोग ने व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति में 20 के अनुपात में कर व्यय आवंटित किया हैः 80 , क्रमशः "।

65. डी. ई. आर. सी. ने एफ. वाई. 2008-09 के लिए तैयारी के चरण में, कार्यप्रणाली को बदल दिया है और सीमांत लाभ कर की अनुमति नहीं दी है।

अपीलार्थियों द्वारा।

66. हम पहले ही यह विचार रख चुके हैं कि डी. ई. आर. सी. शुल्क निर्धारण के आधार को 'सही होने' के स्तर पर फिर से नहीं खोल सकता है। संशोधन या विवेकपूर्ण जाँच के बहाने डी. ई. आर. सी. द्वारा पहले से निर्धारित शुल्क का पुनर्निर्धारण और इसे सही ठहराना संशोधन के बराबर होगा।

शुल्क आदेश, जिसकी कानून में अनुमति नहीं है। डी. ई. आर. सी. के लिए लाइसेंसधारी की राजस्व आवश्यकताओं के प्रारंभिक अनुमान में शामिल बुनियादी सिद्धांतों, परिसरों और मुद्दों पर नए सिरे से सोचने का अवसर नहीं है।

67. इसलिए, डी. ई. आर. सी. के निष्कर्ष, जैसा कि ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा विवादित आदेश में पुष्टि की गई है, सं. 1 , 2 , 3 और 5 मूल एम. वाई. टी. निर्धारण (शुल्क आदेश) दिनांकित के आदेश के विपरीत हैं।

23.02.2008 और 28.05.2009) जो तदनुसार अलग रखे जाते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए उपरोक्त चार मुद्दों पर कानून के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना अनावश्यक है।

68. मुद्दा संख्या 4: यह मुद्दा दिल्ली पावर द्वारा रखे गए उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर किए गए ब्याज को अस्वीकार करने से संबंधित है।

कंपनी लिमिटेड (डी. पी. सी. एल.)। डी. ई. आर. सी. ने दिनांक 26.08.2011 के शुल्क आदेश में डी. वी. बी. द्वारा प्राप्त निजीकरण से पहले की अवधि के लिए भुगतान की गई उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज की अनुमति नहीं दी है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थियों को हस्तांतरित किया गया। एपीटीईएल ने [2022] 14 एस. सी. आर. के इस आदेश की पुष्टि की है।

DERC। यहाँ यह कहा जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती डी. वी. बी. (डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.2022) को अलग करने के समय, उपभोक्ता प्रतिभूति जमा की मात्रा निम्नलिखित संदर्भों में अधिसूचित प्रारंभिक जमा-पत्र में परिलक्षित होती है -

वैधानिक हस्तांतरण योजना, डी. पी. सी. एल. (पूरी तरह से एन. सी. टी. दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी) द्वारा हस्तांतरित नहीं की गई थी।

अपीलार्थी और अन्य उत्तराधिकारी निजी डिस्कॉम। 2003 के अधिनियम के तहत वितरण लाइसेंसधारी होने के नाते अपीलकर्ताओं को 2003 के अधिनियम की धारा 47 (4) के संदर्भ में उक्त उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है और करना जारी रख रहे हैं, भले ही मूल राशि उन्हें डी. पी. सी. एल. द्वारा पूरी तरह से कभी हस्तांतरित नहीं की गई थी।

69. डी. ई. आर. सी. ने अपने दिनांक 23.04.2007 के आदेश में कहा है कि उसके पास डी. पी. सी. एल. को कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।

70. प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील-डी. ई. आर. सी. प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ताओं ने डी. पी. सी. एल. से ब्याज के साथ जमा राशि के हस्तांतरण की मांग की है और यह भुगतान करने के लिए डी. पी. सी. एल. का मुद्दा डब्ल्यू. पी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। (सिविल) No.2396/2008। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अपीलार्थी डी. पी. सी. एल. के खिलाफ अपने दावे में सफल हो जाते हैं और ब्याज के साथ जमा राशि प्राप्त करते हैं, तो राशि ब्याज के साथ अपीलार्थी को दे दी जाएगी। इस प्रकार, यदि वर्तमान में ए. आर. आर. में खर्चों की अनुमति दी जाती है, और ब्याज का बोझ वर्तमान में उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है, तो डिस्कॉम को वास्तव में दोगुना लाभ मिलेगा।

रिट याचिका के निपटारे के समय क्योंकि उपभोक्ता पहले ही ब्याज की लागत वहन कर चुके होंगे जो तब डी. पी. सी. एल. द्वारा अपीलार्थियों को दी जाएगी। यह तर्क दिया जाता है कि एक नियामक के रूप में, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना डी. ई. आर. सी. का दायित्व है। 71. हमारा विचार है कि डी. पी. सी. एल. द्वारा रखे गए उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की अनुमति नहीं है।

अपीलार्थियों के ए. आर. आर. को पूरी तरह से गलत समझा गया है। उपभोक्ता की जमा राशि पर ब्याज जो अपीलार्थियों द्वारा भुगतान किया जा रहा है, एक वैध खर्च है। यह विवाद में नहीं है कि प्रतिभूति जमा डी. पी. सी. एल. द्वारा अपीलार्थियों को हस्तांतरित नहीं किया गया था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं को उसी की लागत वहन करने की आवश्यकता थी। यदि डी. पी. सी. एल. द्वारा धारित उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर मूल राशि ब्याज के साथ अपीलार्थियों को हस्तांतरित की जाती है, तो अपीलार्थी, अपने वैध व्यय के अधीन, ऐसे ब्याज को बनाए रखेंगे और अपीलार्थियों द्वारा प्राप्त अतिरिक्त ब्याज के किसी भी शेष का लाभ शुल्क में उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। इसलिए,

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि यदि ब्याज का बोझ वर्तमान में उपभोक्ताओं पर डाला जाता है, तो अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका में सफल होने की स्थिति में दोगुना लाभ मिलेगा।

बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड वी. दिल्ली निर्वाचन नियामक आयोग [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

72. इसलिए, हम मानते हैं कि अपीलार्थी वसूली के हकदार हैं

डी. पी. सी. एल. द्वारा धारित उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज। हम डी. ई. आर. सी. को डी. पी. सी. एल. द्वारा रखे गए उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज और अपीलार्थियों पर इसके प्रभाव की अनुमति देने का निर्देश देते हैं। इस संबंध में डी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्षों को अलग रखा गया है।

73. मुद्दा संख्या 6: यह मुद्दा प्रवर्तन बिक्री से संबंधित है।

ऐसी बिक्री जो बिजली चोरी के मामलों में हुई मानी जाती है। विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या ए. पी. टी. ई. एल. के क्रम में आक्षेपित निष्कर्ष इस कानूनी सिद्धांत के खिलाफ हैं कि जब कानून एक कानूनी कल्पना बनाता है यानी कि ऊर्जा का आकलन किया जाता है तो उसे उपभोग माना जाता है, उसी को इसके सभी परिणामों के साथ प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

अर्थात् ऊर्जा की समान मात्रा की आपूर्ति के रूप में गणना की जानी चाहिए?

74. संचारित बिजली चोरी हो सकती है या अनधिकृत रूप से उपयोग की जा सकती है।

जबकि निजीकरण से पहले चोरी/अनधिकृत उपयोग लगभग 60 प्रतिशत था, अब इसे घटाकर 7 से 8 प्रतिशत कर दिया गया है। अनाधिकृत उपयोग और चोरी से 2003 के अधिनियम की धारा 126 में निपटा गया है, जिसके प्रासंगिक खंड निम्नानुसार हैं:

" धारा 126: (मूल्यांकन): — (1) यदि किसी के निरीक्षण पर

स्थान या परिसर या उपकरणों, उपकरणों के निरीक्षण के बाद,

मशीनें, उपकरण जुड़े हुए या उपयोग किए गए पाए गए, या निरीक्षण के बाद

किसी भी व्यक्ति द्वारा रखे गए अभिलेख, मूल्यांकन अधिकारी के पास आता है

यह निष्कर्ष कि ऐसा व्यक्ति अनधिकृत उपयोग में लिप्त है बिजली, वह अस्थायी रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ का आकलन करेगा

ऐसे व्यक्ति द्वारा देय बिजली शुल्क का निर्णय लें

या इस तरह के उपयोग से लाभान्वित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। [... .]

बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, मूल्यांकन उस पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिसके दौरान इस तरह के अनधिकृत

बिजली का उपयोग किया गया है और यदि, हालांकि, अवधि के दौरान

जो बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग नहीं हो सकता है

सुनिश्चित किया जाए तो ऐसी अवधि बारह की अवधि तक सीमित होगी।

निरीक्षण की तारीख से तुरंत पहले के महीने।]

(6) इस धारा के तहत मूल्यांकन किया जाएगा

संबंधित के लिए लागू शुल्क दरों के दोगुने के बराबर दर

उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की श्रेणी।

(जोर दिया गया)

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

75. सतर्कता/प्रवर्तन विभाग चोरी का पता लगाता है /

बिजली का अनधिकृत उपयोग। उचित अवसर देने के बाद, बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग के लिए बिल बनाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है प्रवर्तन बिक्री/मूल्यांकन बिक्री। इस तरह की चोरी/अनधिकृत उपयोग के लिए वैधानिक शुल्क सामान्य दर से दोगुना है।

76. छोटे उपभोक्ताओं के प्रवर्तन मामलों का निपटारा करते हुए, लोक

अदालतें अक्सर गलती करने वाले उपभोक्ताओं को रुपये की राशि के मूल्यांकन समतुल्य पर छूट प्रदान करती हैं न कि ऊर्जा की मूल्यांकन इकाइयों पर। उपभोक्ताओं को बिक्री मानी जाने वाली ऊर्जा इकाइयों का मूल्यांकन 2003 के अधिनियम की धारा 126 के अनुसार है, जिसे स्वयं डी. ई. आर. सी. द्वारा निर्दिष्ट इस तरह के मूल्यांकन के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है।

77. धारा 126 के तहत बिजली के अनधिकृत उपयोग के किसी विशेष मामले में, मान लीजिए कि 'एल. डी. एच. एफ. सूत्र' (डी. ई. आर. सी. द्वारा निर्दिष्ट) का उपयोग कर रहे हैं।

स्वयं), अपीलार्थी उपभोक्ता का आकलन करते हैं कि उसने 100 यूनिट बिजली का उपभोग किया है।

(अ)

द्वारा निर्मित आपूर्ति संहिता विनियमों के आधार पर डी. ई. आर. सी. स्वयं, इन 100 इकाइयों को "बिक्री" के रूप में माना जाना है।

(ख)

100 इकाइयों के मूल्यांकन पर, अपीलार्थी एक

उक्त उपभोक्ता पर बिल। बिजली अधिनियम की धारा 126 के तहत बिल को सामान्य से दोगुना बढ़ाना पड़ता है।

5x2]);

एक समझौते के आधार पर जो बीच में किया जाता है

((ग)

लोक अदालत आदि के समक्ष अपीलार्थी और उपभोक्ता, मान लीजिए कि अपीलार्थी 200 रुपये देने के लिए सहमत है, अपीलार्थी तब 1,000/- रुपये के बजाय 800/- रुपये वसूल करता है।

((घ)

अब, हालांकि समझौता केवल रुपये के बराबर के लिए है डी. ई. आर. सी. अब 800 रुपये लेता है, इसे 10 रुपये (यानी ए. बी. आर. से दोगुना) से विभाजित करता है और विद्युत ऊर्जा के एक काल्पनिक 'बिक्री' के आंकड़े पर पहुंचता है।

80 इकाइयाँ।

(ई)

यह ऊर्जा के आकलन के बिल्कुल विपरीत है।

डी. ई. आर. सी. द्वारा निर्दिष्ट एल. डी. एच. एफ. फार्मूले के संदर्भ में 100 इकाइयों की बिक्री, जिसके अनुसार बिक्री 100 इकाइयों की "मानी" जाती है।

इसलिए, लोक सभा के समक्ष समझौता करके

(च)

अदालत (जो पूरे लोक अदालत बी. एस. ई. एस. राजधनी पावर लिमिटेड के अनुरूप है।

दर्शन), अपीलार्थी को पहले मौद्रिक संदर्भ में 200 रुपये का नुकसान होता है और फिर 20 यूनिट बिजली का नुकसान होता है जिसे अपीलार्थी को पहले ऐसे उपभोक्ता को बेच दिया माना जाता है।

78. अपीलार्थियों के विद्वान वकील का कहना है कि जब कानून एक कानूनी कल्पना बनाता है, यानी कि मूल्यांकन की गई ऊर्जा का उपभोग माना जाता है, तो उसे इसके सभी परिणामों यानी समान मात्रा के साथ प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

ऊर्जा की आपूर्ति के रूप में गणना की जानी चाहिए। हालांकि, प्रतिवादी डी. ई. आर. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. के समवर्ती निष्कर्षों और कार्यप्रणाली को बदला नहीं जा सकता है।

आयोग द्वारा स्वीकृत किए जाने को बनाए रखना होगा।

79. इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करने के बाद, हम प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए रुख से सहमत नहीं हैं। हमारा विचार है कि डी. ई. आर. सी. द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली कानून के तय किए गए सिद्धांत के विपरीत है कि जब कानून किसी निश्चित काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानता है, तो डी. ई. आर. सी. 100 इकाइयों को बिक्री के रूप में मानने की अपनी कल्पना को डगमगाने नहीं देगा। हमारा विचार है कि इस तरह की काल्पनिक स्थिति को इसके तार्किक अंत तक ले जाया जाना चाहिए और 100 इकाइयों को 'बिक्री' के रूप में मानने की सराहना की जानी चाहिए।

80. हमारा विचार है कि मूल्यांकन की गई ऊर्जा को प्रवर्तन मामलों में अपीलार्थियों द्वारा आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, हम डी. ई. आर. सी. को गणना के लिए मूल्यांकन ऊर्जा पर विचार करने का निर्देश देते हैं

प्रवर्तन बिक्री और ले जाने के साथ-साथ उसी के प्रभाव की अनुमति दें लागतें। ऊपर दिए गए अपने निष्कर्ष को देखते हुए, हम इस मुद्दे पर अन्य दलीलों का जवाब देना आवश्यक नहीं समझते हैं।

81. कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है और डी. ई. आर. सी. का आदेश और

ऊपर वर्णित सीमा तक, इसमें आक्षेपित ए. पी. टी. ई. एल. का निर्णय। इन्हें अलग रखा जाता है। दल अपन-अपन लागत वहन करत।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन

(तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)